न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 02/2023

शीर्षक

1.इब्राहिम पुत्र जालिम उम्र 60 वर्ष, जाति फकीर, निवासी ग्राम देवन, तहसील शाहपुरा, जिला– जयपुर राजस्थान।

बनाम

वादी

1 सुलेमान पुत्र जालिम, 82 वर्ष, जाति फकीर, निवासी – ग्राम देवन, तहसील– शाहपुरा, जिला–जयपुर राजस्थान, हाल निवासी 86ए, जयसिंह नगर, दिल्ली बाईपास रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयसिंहपुरा शेखावतान, जयपुर

2 छीतर उर्फ ईसाक पुत्र जालिम, उम्र 80 वर्ष, जाति फकीर, निवासी – ग्राम देवन, तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर राजस्थान

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तगर्त धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 10/6/24

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता संख्या 504 के हाल खसरा नं0 1043 कुल किता– 1 कुल रकबा 1.2000 है० वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए. भू.अभि.नि. क्षेत्र कांट, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है।

वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मनबट बंटवारा के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु अब प्रतिवादीगण सं0–1 व 2 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वे वादी को उसके कब्जे व काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग गये है एवं आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी के विशिष्ट भु–भाग पर जबरन कब्जा करने व दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। आज से सप्ताह भर पूर्व वादी अपने हिस्से की भूमि की देखरेख कर रहा था तो प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर आये और वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने लग गये तब वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि मेरे हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा मत करो और कानूनी बटवारा करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण भडक गये तथा लडाई झगडा व मारपीट करने पर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

आमादा हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि हम कानूनी बटवारा नहीं करवायेगें तथा बिना कानूनी बटवारा करवाये ही तुम्हारे हिस्से की जमीन पर भी कब्जा करके रहेगें। प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबे में सफल हो गये और उन्होने वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया या अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रुप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक रूप में मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वाद पत्र बटवारा एवं स्थायी निशेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित प्रकार से आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदारी भूमि होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर जबरन कब्जा करने पर आमादा होने तथा अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान कर देने तथा वादी को उसकी भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियादी पेश है।

अन्त में निवेदन किया गया कि आराजी हाल खाता संख्या 504 के हाल खसरा नं0 1043 कुल किता– 1 कुल रकबा 1.2000 है० वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए. भू.अभि.नि. क्षेत्र कांट, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० में स्थित भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के मुताबिक खातेदार काश्तकारों द्वारा पूर्व में किये गये मनबट बंटवारे के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व खातेदारों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादी को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे एवं ना ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 01 व 02 उपस्थित आये। दिनांक 13.09.2023 को प्रतिवादी सं0 02 की ओर से अधिवक्ता अंकित शर्मा ने अण्डटेकिंग दी। दिनांक 25.04.2024 को प्रतिवादी सं0 02 व उनके अधिवक्ता उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से प्रकरण में प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2024/ 2451 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये । वकील वादी ने उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

होकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खाता संख्या 504 के हाल खसरा नं0 1043 कुल किता– 1 कुल रकबा 1.2000 है० वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, भू.अभि.नि.क्षेत्र कांट, तह० शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. छीतर उर्फ ईसाक पुत्र जालिम हि0 पूर्ण जाति फकीर सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1043/1 रकबा 0.40 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
2. इब्राहिम पुत्र जालिम हि0 पूर्ण जाति फकीर सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1043/2 रकबा 0.40 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. सुलेमान पुत्र जालिम हि0 पूर्ण जाति फकीर सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1043/3 रकबा 0.40 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 02/2023

शीर्षक

1.इब्राहिम पुत्र जालिम उम्र 60 वर्ष, जाति फकीर, निवासी ग्राम देवन, तहसील शाहपुरा, जिला– जयपुर राजस्थान।

बनाम

वादी

1 सुलेमान पुत्र जालिम, 82 वर्ष, जाति फकीर, निवासी – ग्राम देवन, तहसील– शाहपुरा, जिला–जयपुर राजस्थान, हाल निवासी 86ए, जयसिंह नगर, दिल्ली बाईपास रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयसिंहपुरा शेखावतान, जयपुर
2 छीतर उर्फ ईसाक पुत्र जालिम, उम्र 80 वर्ष, जाति फकीर, निवासी – ग्राम देवन, तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर राजस्थान
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तगर्त धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 10/6/24

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खाता संख्या 504 के हाल खसरा नं0 1043 कुल किता– 1 कुल रकबा 1.2000 है० वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, भू.अभि.नि.क्षेत्र कांट, तह० शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. छीतर उर्फ ईसाक पुत्र जालिम हि0 पूर्ण जाति फकीर सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1043/1 रकबा 0.40 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
2. इब्राहिम पुत्र जालिम हि0 पूर्ण जाति फकीर सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1043/2 रकबा 0.40 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. सुलेमान पुत्र जालिम हि0 पूर्ण जाति फकीर सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1043/3 रकबा 0.40 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 10/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)